**न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर**
**पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.**

आवेदनपत्र संख्या 43 / 2017
अन्तर्गत धारा 88, 188, 53, 92ए राज. काश्तकारी अधिनियम

1. सुखप्रीतसिंह आत्मज स्व. श्री मलसिंह आत्मज श्री तारासिंह, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान,
2. श्रीमती छिन्द्रपालकौर धर्मपत्नी स्व. श्री मलसिंह आत्मज श्री तारासिंह, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान,
3. श्रीमती हरप्रीतकौर आत्मज स्व. श्री मलसिंह आत्मज श्री तारासिंह, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान,
4. बलदेवसिंह एवं
5. नक्षत्रसिंह आत्मजन श्री तारासिंह आत्मज श्री सुच्चासिंह, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

....वादीगण

**बनाम**

1. छिन्दासिंह छिन्द्रपालसिंह आत्मज श्री तारासिंह, जटसिख, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान हाल आबाद झबेलवाली तहसील बरीवाला जिला मुक्तसर(पंजाब)
2. दर्शनसिंह आत्मज श्री तारासिंह, जटसिख, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान हाल आबाद झबेलवाली तहसील बरीवाला जिला मुक्तसर(पंजाब)
3. गुरासिंह आत्मज श्री तारासिंह, जटसिख, चक 11 एच एच ढींगांवाली जाटान तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. श्रीमती जलकौर धर्मपत्नी श्री करतारसिंह आत्मजा श्री तारासिंह आत्मज श्री सुच्चासिंह, जटसिख, चक 12 एच.एच.
5. श्रीमती इकबालकौर धर्मपत्नी श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, चक 12 एच.एच. बानियांवाला,
6. जसजीतसिंह आत्मज श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, चक 12 एच.एच. बानियांवाला,
7. अमरजीतसिंह आत्मज श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, चक 12 एच.एच. बानियांवाला,
8. भरपूरसिंह आत्मज श्री जगदेवसिंह, चक 12 एच.एच.**(विलोपित)**,
9. बलकरणसिंह आत्मज श्री सुखदेवसिंह, चक 12 एच.एच. बानियांवाला,
10. श्रीमती रणजीतकौर धर्मपत्नी श्री सुखदेवसिंह,चक 12 एच.एच. बानियांवाला**(विलोपित)**,
11. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, श्रीगंगानगर,
12. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, घड़साना,
13. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार, पदमपुर,
14. श्रीमती दलजीतकौर धर्मपत्नी श्री भरपूरसिंह, चक 12 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर

15. अमनदीपकौर आत्मजा श्री भरपूरसिंह, 12 एच.एस. तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.......प्रतिवादीगण

उपस्थिति– श्री दलबारसिंह बराड़(वादीगण)
श्री सुरेन्द्रसिंह भनोत(प्रतिवादी1 एवं 2)
श्री संजय जनवेजा(प्रतिवादी–5,7,9एवं10)
पैरोकार राज(प्रतिवादी–11 से 13)

**दिनांक 07 सितम्बर, 2018**

– निर्णय –

वादपत्र के अनुसार चक 12 एच एच. तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 24 एवं 26 की 2.0240 हैक्टर श्री तारासिंह एवं श्रीमती बसन्तकौर के नाम पर, चक 11 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3 व 15 की 7.754 हैक्टर श्री तारासिंह के नाम पर, चक 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 25,26 एवं 36 में श्री दर्शनसिंह आत्मज श्री तारासिंह 100 हिस्सा, श्री तारासिंह आत्मज श्री सुच्चासिंह 39 हिस्सा एवं श्रीमती बसन्तकौर धर्मपत्नी श्री तारासिंह के नाम पर 35 हिस्सा, चक 5 एस.के.एम. ए. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 2 की 6.325 हैक्टर श्री मलसिंह एवं श्री बलदेवसिंह के नाम पर, चक 3 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 5 की 3.162 हैक्टर, श्री सुखदेवसिंह उर्फ गुरासिंह, श्री गुरासिंह, श्री नक्षत्रसिंह आत्मजन श्री तारासिंह एवं 3.163 हैक्टर श्री छिन्द्रपालसिंह, श्री नक्षत्रसिंह आत्मजन श्री तारासिंह एवं गांव झबेलवाली तहसील बरीवाला जिला मुक्तसर(पंजाब) के खेवट संख्या 24/20 खतौनी संख्या 82 में 18. 00 किला श्री दर्शनसिंह, श्री छिन्द्रसिंह उर्फ छिन्द्रपालसिंह के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. समस्त कृषि भूमि का वादीगण के पिता श्री तारासिंह द्वारा अपने जीवनकाल में विभाजन कर इकरारनामा बाहमी बंटवारा जमीन दिनांक 25 मार्च, 2008 वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं स्वर्गीय श्री तारासिंह एवं स्वर्गीय श्रीमती बसन्तकौर की सहमति से अंकित किया गया. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के वंश की कुल कृषि भूमि पंजाब में होने के कारण पंजाब स्थित कृषि भूमि को शामिल करते हुऐ बंटवारानामा दिनांक 25 मार्च, 2008 के अनुसार वादीगण के हिस्सा में – चक 5 एस.के.एम ए तहसी घड़साना जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/27 वर्तमान खाता संख्या 33/36 पत्थर नम्बर 147/20 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 2 से 8, किला नम्बर 14 स 17 एवं किला नम्बर 24 व 25 कुल 13.00 बीघा मय रास्ता, चक 3 बी.बी.तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/27 वर्तमान खाता संख्या 45/23 मुरब्बा नम्बर 5 के 3.162 हैक्टर कुल 6.325 हैक्टर एवं चक 11 एच.एस. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27 वर्तमान खाता संख्या 19/18 मुरब्बा नम्बर 3 के 1.429 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 15 के 6.325 हैक्टर अर्थात 25.00 बीघा कुल 7.754 हैक्टर दी गयी. उल्लेखित विभाजन में गांव झबेलवाली तहसील बरीवाला जिला मुक्तसर(पंजाब)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

स्थित कुल 18.00 किला श्री छिन्दासिंह उर्फ श्री छिन्द्रपालसिंह एवं श्री दर्शनसिंह के हिस्सा में दी गयी. क्योंकि उक्त कृषि भूमि श्री तारासिंह एवं श्रीमती बसन्तकौर के नाम से थी, जिनके द्वारा विभाजन की पालना में रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ली गयी अर्थात अपने नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा ली गयी. श्री तारासिंह की मृत्योपरान्त उनके वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 हैं. श्री तारासिंह की मृत्योपरान्त प्रतिवादीगण, राजस्थान स्थित वर्णित कृषि भूमि में उनका नाम दर्ज होने का अनुचित लाभ उठाने एवं प्रतिवादी संख्या 4 श्री तारासिंह की वारिस होने, जिसके द्वारा विभाजन में कोई कृषि भूमि प्राप्त नहीं की गयी, किन्तु अन्य के प्रभाव में होने के कारण श्री तारासिंह के नाम पर दर्ज कृषि भूमि का नामान्तरकरण करवा कर वादीगण को बेदखल कर अन्यत्र को अन्तरित करने में प्रयासरत है. पारिवारिक समझौता/पारिवारिक विभाजन में वादीगण प्राप्त कृषि भूमि के हकदार हैं चूंकि प्रतिवादीगण लालचवश वर्णित कृषि भूमि से वादीगण को बेदखल कर अन्यत्र अन्तरित करने में प्रयासरत हैं इसलिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को बार बार पारिवारिक समझौता अर्थात विभाजन दिनांक 25 मार्च, 2008 के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार एवं हकदार मानकर विभाजन करवाकर किलावाईज उनके नाम पर दर्ज करवाने एवं वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि में हस्तक्षेप नहीं करने एवं अन्यत्र बंधक, विक्रय एवं किसी भी प्रकार से अन्तरित नहीं करने हेतु कहने पर प्रतिवादीगण टालमटोल करते हुऐ दिनांक 15 अप्रेल, 2017 को साफ इन्कारी हो गये. यही वादहेतुक वादीगण को उपलब्ध है. प्रतिवादीगण पारिवारिक समझौता एवं पारिवारिक विभाजन की पालना के लिये विधि के अनुसार पाबन्द एवं उत्तरदायी हैं. इस प्रकार वादीगण द्वारा उनके कब्जा काश्त की चक 5 एस.के.एम ए तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 22/27 वर्तमान खाता संख्या 33/36 पत्थर नम्बर 147/20 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 2 से 8, किला नम्बर 14 से 17 एवं किला नम्बर 24 व 25 कुल 13.00 बीघा मय रास्ता, चक 3 बी.बी.तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/27 वर्तमान खाता संख्या 45/23 मुरब्बा नम्बर 5 के 3.162 हैक्टर कुल 6.325 हैक्टर एवं चक 11 एच.एस. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27 वर्तमान खाता संख्या 19/18 मुरब्बा नम्बर 3 के 1.429 हैक्टर एवं मुरब्बा नम्बर 15 के 6.325 हैक्टर अर्थात 25.00 बीघा कुल 7.754 हैक्टर कृषि भूमि खातेदार, काश्तकार एवं हकदार होने के कारण विभाजन में प्राप्त करने के अधिकारी हैं, चूंकि पारिवारिक समझौता का एक्ट अपॉन होकर पंजाब की कृषि भूमि प्रतिवादी द्वारा अपने नाम लजगवा ली गयी है इसलिये प्रतिवादी इस पारिवारिक समझौता की पालना के लिये पाबन्द एवं उत्तरदायी हैं., प्रश्नगत कृषि भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करवाया जाकर उक्तांकित किलावाईज कृषि भूमि वादीगण के हिस्सा में आने के कारण उनके नाम पर दर्ज कर मामला, लगान पृथक कायम करने के सथ साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्व, वादीगण के कब्जा काश्त की कृषि भूमि के कब्जा काश्त, पानी की बारी के उपयोग एवं उपभोग करने में स्वयं अथवा सिकी अन्य के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करनेश, बंधक, विक्रय अविा किसी भी प्रकार से अन्तरित

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर

नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 12 एच.एच. की खाता संख्या 21/20 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 12 एच. एच. की खाता संख्या 37/35 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 11 एच.एच. की खाता संख्या 18/19 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, चक 3 बी.बी. तहसील पदमपुर के खाता संख्या 45/23 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2072–2075, चक 3 बी.बी. तहसील पदमपुर के खाता संख्या 46/102 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2072–2075, चक 5 एस.के.एम.–ए तहसील घडसाना के खाता संख्या 36/33 के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2069–2072, गांव झबेलवाली के खता संख्या 24/20 की जमाबन्दी वर्ष 2006–2007 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 2, 5 से 7, 9 एवं 10 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 3, 4 एव 8 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर उन्हें रूक रूक कर निरन्तर आवाजें लगवाये जाने पर भी उपस्थित नहीं आने के कारण आदेश दिनांक 26 मई, 2017 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3, 4 एवं 8 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 25 जून, 2017 अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व गत पेशी पर एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है. प्रतिवादी के सगे भाई बारीवाला में रहते है. प्रतिवादी द्वारा प्राप्त सम्मन उन्हें भिजवा दिये गये ताकि वो भी मा. न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जायें. इस कारण प्रतिवादी गत तारीख पेशी पर ज्ञान एवं ध्यान से निकल गया जो कि एक सद्भाविक त्रुटि हुई है. इस प्रकार एकपक्षीय कार्यवाही अपास्त करने का निवेदन किया गया. जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नही किया गया. जिस पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त, आदेश दिनांक 15 सितम्बर, 2017 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व जारी एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश अपास्त किये गये.

वादीगण की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 27 जून, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी श्री गुरासिंह के विरूद्व दिनांक 26 मई, 2017 को तामील के बावजूद तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं आने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है. प्रतिवादी संख्या 3 के भाई जो बरीवाला में रहते हैं, उनको भी पृथक से सम्मन भेजे गये हैं, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 3 दिनांक 26 मई, 2017 को जानबूझकर उपस्थित नहीं आने के परिणामतः ही सही रूप से उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

आवेदकगण सर्वश्रीमती दलजीतकौर धर्मपत्नी श्री भरपूरसिंह एवं अमनदीपकौर आत्मजा श्री भरपूरसिंह द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित आकर आवेदनपत्र दिनांक 27 जून, 2017 प्रस्तुत किया गया

जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में प्रश्नगत कृषि भूमि चक 12 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की 12.081 हैक्टर में से 190 हिस्सा कृषि भूमि आवेदकगण के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है. इस प्रकार आवेदकगण प्रश्नगत कृषि भूमि के सहखातेदार हैं. वाद के विधिपूर्ण एवं निष्पक्ष निस्तारण हेतु आवेदकगण को बतौर प्रतिवादी वाद में संयोजित किया जाना आवश्यक है. इस प्रकार आवेदकगण को बतौर प्रतिवादी संयोजित करने का निवेदन किया गया. जिस पर वादी की ओर से अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आदेश दिनांक 27 जून, 2017 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण सर्वश्रीमती दलजीतकौर धर्मपत्नी श्री भरपूरसिंह एवं अमनदीपकौर आत्मजा श्री भरपूरसिंह को प्रतिवादी की सूचि में स्थापित किया गया.

वादीगण की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 5 जुलाई, 2017 अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 8 श्री भरपूरसिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा श्री भरपूरसिंह के वारिसान को पूर्व में ही वादपत्र में पक्षकार स्थापित किया जा चुका है. ऐसी स्थिति में, मृतक प्रतिवादी संख्या 8 का प्रतिपक्षकार रहना आवश्यक नहीं रह गया है इसलिये मृतक प्रतिवादी संख्या 8 श्री भरपूरसिंह का नाम वादपत्र के शीर्षक से विलोपिता किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 10 श्रीमती रणजीतकौर धर्मपत्नी श्री सुखदेवसिंह के नाम पर कृषि भूमि नहीं है क्योंकि श्रीमती रणजीतकौर द्वारा अपनी कृषि भूमि अपने पुत्र श्री बलकरणसिंह के पक्ष में अन्तरित की जा चुकी है, जो पूर्व में ही वादपत्र में पक्षकार स्थापित है. इस प्रकार प्रतिवादी सेंख्या 8 एवं 10 का नाम वाद शीर्षक से विलोपित करने का निवेदन किया गया. जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 से 7, 9 एवं 10 द्वारा अनापत्ति हस्ताक्षरित करने के परिणामतः आदेश दिनांक 5 जुलाई, 2017 द्वारा आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 8 एवं 10 का नाम वाद शीर्षक से विलोपित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 9 भी विचाराधीन वादपत्र में प्रश्नगत कृषि भूमि चक 12 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की कुल 12.081 हैक्टर कृषि भूमि में सहकाश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 9 के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 16 से 20 प्रत्येक 0.215 हैक्टर, किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक 0.253 हैकटर कुल 2.340 हैक्टर चली आ रही है जिस पर प्रतिवादी संख्या 9 अर्सा दराज से काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त कर रहा है. जिस पर प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा भारी मेहनत कर सुधार कार्य करवाये जाकर उपजाउ बनाया गया है. **काउण्टरक्लेम में** अंकित किया गया कि चक 12 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की कुल 12.081 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 9 के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 16 से 20 प्रत्येक 0.215 हैक्टर, किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक 0.253 हैकटर कुल 2.340 हैक्टर चली आ रही है जिस पर प्रतिवादी संख्या 9 अर्सा दराज से काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त कर रहा है. जिस पर प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा भारी मेहनत कर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (...टेक) श्रीगंगानगर

सुधार कार्य करवाये जाकर उपजाउ बनाया गया है. तथा मौका पर प्रतिवादी संख्या 9 की फसल खड़ी है. प्रतिवादी संख्या 9 अपनी खातेदारी संयुक्त कृषि भूमि में और सुधार कार्य करवाना तथा विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहता है किन्तु उसकी खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 9 को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिये प्रतिवादी संख्या 9 अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि को ही विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा चक 12 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की कुल 12.081 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 9 के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 16 से 20 प्रत्येक 0.215 हैक्टर, किला नम्बर 21 से 25 प्रत्येक 0.253 हैकटर कुल 2.340 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल उसके नाम पर दर्ज कर पृथक खाता कायम कर पृथक पृथक लगान एवं मामला कायम करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 5 से 7 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 9 भी विचाराधीन वादपत्र में प्रश्नगत कृषि भूमि चक 12 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की कुल 12.081 हैक्टर कृषि भूमि में 402 हिस्सा एतद्द्वारा 5.085 हैक्टर कृषि भूमि के सहकाश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 1, 2, 9 से 12, 19 से 22 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 15(0.025) किला नम्बर 16 से चिपता हुआ, किला नम्बर 16 से 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.555 हैक्टर चली आ रही है जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 से 7 अर्सा दराज से काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त कर रहा है. जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 से 7 द्वारा भारी मेहनत कर सुधार कार्य करवाये जाकर उपजाउ बनाया गया है. **काउण्टरक्लेम में** अंकित किया गया कि चक 12 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की कुल 12.081 हैक्टर कृषि भूमि में 402 हिस्सा एतद्द्वारा 5.085 हैक्टर कृषि भूमि के सहकाश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 1, 2, 9 से 12, 19 से 22 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 15(0.025) किला नम्बर 16 से चिपता हुआ, किला नम्बर 16 से 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.555 हैक्टर चली आ रही है जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 से 7 अर्सा दराज से काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त कर रहा है. जिस पर प्रतिवादी संख्या 5 से 7 द्वारा भारी मेहनत कर सुधार कार्य करवाये जाकर उपजाउ बनाया गया है. तथा मौका पर प्रतिवादी संख्या 5 से 7 की फसल खड़ी है. प्रतिवादी संख्या 5 से 7 अपनी खातेदारी संयुक्त कृषि भूमि में और सुधार कार्य करवाना तथा विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहता है किन्तु उसकी खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 5 से 7 को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिये प्रतिवादी संख्या 5 से 7 अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि को ही विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 से 79 द्वारा चक 12 एच.एच.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फर्स्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की कुल 12.081 हैक्टर कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 5 से 7 के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 25 किला नम्बर 1, 2, 9 से 12, 19 से 22 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.530 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 26 किला नम्बर 15(0.025) किला नम्बर 16 से चिपता हुआ, किला नम्बर 16 से 25 प्रत्येक 0.253 हैक्टर कुल 2.555 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल उनके नाम पर दर्ज कर पृथक खाता कायम कर पृथक पृथक लगान एवं मामला कायम करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 9 भी विचारधीन वादपत्र में प्रश्नगत कृषि भूमि चक 12 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की कुल 12.081 हैक्टर कृषि भूमि में 190 हिस्सा एतद्द्वारा 2.404 हैक्टर कृषि भूमि के सहकाश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 6 से 8 प्रत्येक 0.253, किला नम्बर 9/1(0.190), किला नम्बर 11 से 15 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 16 से 20 प्रत्येक 0.038 हैक्टर कुल 2.404 हैक्टर चली आ रही है जिस पर प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 अर्सा दराज से काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त कर रहा है. जिस पर प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 द्वारा भारी मेहनत कर सुधार कार्य करवाये जाकर उपजाउ बनाया गया है. **काउण्टरक्लेम में** अंकित किया गया कि चक 12 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की कुल 12.081 हैक्टर कृषि भूमि में 190 हिस्सा एतद्द्वारा 2.404 हैक्टर कृषि भूमि के सहकाश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 6 से 8 प्रत्येक 0.253, किला नम्बर 9/1(0.190), किला नम्बर 11 से 15 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 16 से 20 प्रत्येक 0.038 हैक्टर कुल 2.404 हैक्टर चली आ रही है जिस पर प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 अर्सा दराज से काबिज होकर शान्तिपूर्वक काश्त कर रहा है. जिस पर प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 द्वारा भारी मेहनत कर सुधार कार्य करवाये जाकर उपजाउ बनाया गया है. तथा मौका पर प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 की फसल खड़ी है. प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 अपनी खातेदारी संयुक्त कृषि भूमि में और सुधार कार्य करवाना तथा विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहता है किन्तु उसकी खातेदारी कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने से प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसलिये प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 अपने कब्जा काश्त की कृषि भूमि को ही विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी है. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 द्वारा चक 12 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की कुल 12.081 हैक्टर कृषि भूमि में 190 हिस्सा एतद्द्वारा 2.404 हैक्टर कृषि भूमि के सहकाश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 के कब्जा में मुरब्बा नम्बर 36 किला नम्बर 6 से 8 प्रत्येक 0.253, किला नम्बर 9/1(0.190), किला नम्बर 11 से 15 प्रत्येक 0.253 हैक्टर, किला नम्बर 16 से 20 प्रत्येक 0.038 हैक्टर कुल 2.404 हैक्टर मय खाल उनके नाम पर दर्ज कर पृथक खाता कायम कर पृथक पृथक लगान एवं मामला कायम करने का निवेदन किया गया.

सहायक कलेक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (...) श्रीगंगानगर

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से आवेदनपत्र दिनांक 16 अक्तूबर, 2017 अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1(4)(बी) सपठित आदेश 7 नियम 14 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार विचाराधीन वाद वादीगण द्वारा पारिवारिक समझौता एवं बाहमी बंटवारा दिनांक 25 मार्च, 2008 के आधार पर घोषणात्मक अनुतोष/विभाजन/स्थायी व्यादेश के लिये प्रस्तुत किया गया है एवं वादपत्र में अन्तर्वलित कृषि भूमि का उल्लेख वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के बिन्दु संख्या 2 में किया गया है. इस प्रकार वादीगण के वाद का मुख्य आधार एवं वादहेतुक के सन्दर्भ में विषयवस्तु उनके अनुसार पारिवारिक समझौता दिनांकित 25 मार्च, 2008 है. वादी संख्या 1 से 3 श्री मलसिंह आत्मज श्री तारासिंह के विधिक उत्तराधिकारी हैं एवं सन् 2012 में श्री मलसिंह व वादी संख्या 4 व 5 द्वारा वादपत्र के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि के सन्दर्भ में पारिवारिक समझौता एवं वाहमी बंटवारा दिनांक 25 मार्च, 2008 के आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्व न्यायालय उपजिलाधीश (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष वादपत्र संख्या 233/2012 शीर्षक मलसिंह व अन्य बनाम श्रीमती जलकौर व अन्य प्रस्तुत किया गया था जिसे वादीगण द्वारा स्वतः ही यह कथन करते हुऐ दिनांक 5 नवम्बर, 2012 को निरस्त करवा लिया गया कि उनका राजीनामा हो चुका है तथा वादपत्र को चलाना नहीं चाहते और उनके द्वारा वादपत्र को खारिज करने के निवेदन करने पर माननीय न्यायालय द्वारा वादप, खारिज कर दिया गया. आदेश 23 नियम 1(4) व्यवहार प्रकिया संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत यदि वादीगण द्वारा वादपत्र में अधियाचित अनुतोष का परित्याग कर दिया जाता है और दावा को वापिस ले लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में, उसी विषयवस्तु के आधार पर वादीगण द्वारा नया वादपत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सकता. वादीगण द्वारा वाद की विषयवस्तु पारिवारिक समझौता दिनांक 25 मार्च, 2008 के आधार पर अपने वादपत्र के बिन्दु संख्या 5 में यह उल्लेख भी किया गया है कि इसकी कियान्विती प्रतिवादीगण द्वारा करवा ली गयी किन्तु पूर्व वाद का जानबूझ कर उल्लेख नहीं करके सारवान तथ्यों को इस मान्य न्यायालय के समक्ष छिपाया गया है. यद्यपि पूर्व वाद को राजीनामा के आधार पर वापिस लिया जाना एक स्वीकृत तथ्य है और इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद विधिक द्वारा वर्जित होने के कारण आदेश 7 नियम 11(डी) व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने के कारण वाद इसी स्तर पर निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्रकार वादीगण का वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण इसी स्तर पर निस्त किये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन मे न्यायालय उपजिलाधीश (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा वादपत्र संख्या 233/2012 शीर्षक मलसिंह व अन्य बनाम श्रीमती जलकौर व अन्य में पारित आदेश दिनांक 5 नवम्बर, 2012, वादपत्र शीर्षक मलसिंह व अन्य बनाम श्रीमती जलकौर व अन्य, आवेदनपत्र दिनांक 5 नवम्बर, 2012 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादीगण की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 8 नवम्बर, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार पूर्व वादपत्र संख्या 233/2012 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा आपसी समझौता दिनाक 25 मार्च, 2008 में प्रतिवादीगण के पिता श्री तारासिंह ने समझौता के अनुसार अपने नाम की कृषि भूमि को प्रतिवादीगण के नाम करवा दिया और वादीगण के हिस्सा की कृषि भूमि का जल्द ही उनके नाम पर करवाने का आश्वासन दिया गया किन्तु बाद में उनकी मृत्यु हो गयी और प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्सा को उनके नाम से दर्ज करवाने से इन्कारी हो गये, जहां तक पूर्व वाद खारिज करवाने का लिखा गया है वह सही नहीं है क्योंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के भाईबंध हैं और पंचायत द्वारा कहे जाने पर कि प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्सा की कृषि भूमि उनके नाम से करवा देंगे और यह भी कहा गया कि पहले वादपत्र प्रत्याहरित करे चूंकि वाद में न तो जवाब आया था, न ही प्रकिया पूर्ण हुई थी, केवल तलबी में थी, क्योंकि पंचायत व बाहमी राजीनामा होने के कारण वादीगण उस वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं करने और वादपत्र वापिस लेने का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वादपत्र नस्तीबद्व किया गया. विचाराधीन आवेदनपत्र में अंकित किया गया है कि वादपत्र में चाहे गये अनुतोष का परित्याग कर दिया गया है और वादपत्र वापिस ले लिया जाता है, अस्वीकार किया गया. वादीगण द्वारा किसी भी अनुतोष का परित्याग नहीं किया गया बल्कि राजीनामा के आधार पर प्रतिवादीगण के कथनानुसार कि आपका जो बंटवारा दिनांक 25 मार्च, 2008 के अनुसार बनता है, वह अधिकार देने के लिये तैयार हैं तथा कृषि भूमि वादीगण के नाम से करवाने के लिये तैयार हैं. उस पर विश्वास करते हुऐ वादीगण द्वारा वादपत्र नस्थीबद्व करवाया गया. बाद में प्रतिवादीगण अपने कहे अनुसार एवं समझौता दिनांक 25 मार्च, 2008 के आधार पर जो कृषि भूमि वादीगध्ण के हिस्सा व हक की थी, उसे वादीगण के नाम करवाने से इन्कारी हो गये हैं इसी कारण विचाराधीनर वादपत्र प्रस्तुत किय गया है जिसमें किसी भी प्रकार से न तो आदेश 23 नियम 1(4) के उपलब्ध लागू होते हें और न ही आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत आता है. आवेदनपत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की गयी है और प्रकरण को लम्बा करने के लिये दी गयी है जो निरस्त किये जाने योग्य है. इस प्राकर आवेदनपत्र विधि विरूद्व होने के कारण सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

आवेदनपत्र पर युक्तियुक्त विचारणोपरान्त आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2018 द्वारा पूर्व में प्रस्तुत वादपत्र संख्या 233/2012 शीर्षक मलसिंह व अन्य बनाम श्रीमती जलकौर व अन्य में प्रस्तुत आवेदनपत्र दिनांक 5 नवम्बर, 2012 जिसके अनुसार वादीगण द्वारा पक्षकारान में राजीनामा होने के कारण पक्षकारान क मध्य कोई विवाद नहीं रहा है. इसलिये पक्षकारान उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं, के परिदृश्य आदेश दिनांक 5 नवम्बर, 2012 के अनुसार राजीनामा होने के कारण वाद वादीगण मौजूदा स्टेज पर ही खारिज किया गया है. विचाराधीन वादपत्र में यह तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि राजीनामा की पालना में प्रतिवादी द्वारा पंजाब की बहुमुल्य 18.00 बीघा कृषि भूमि अपने

नाम पर दर्ज करवा ली किन्तु राजस्थान स्थित कृषि भूमि की बाबत बंटवारानामा दिनांक 25 मार्च, 2008 की पालना नहीं की गयी. ऐसी स्थिति में, आदेश 23 नियम 1(4) व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के लिये वादीगण द्वारा अपने अधिकारों का किसी भी दृष्टिकोण से परित्याग नहीं किया गया. अतः विचाराधीन प्रकरण पर आदेश 23 नियम 1(4) व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11(घ) व्यवहार प्रकिया संहिता से प्रभावित नहीं होने के कारण आवेदनपत्र निरस्त किया गया.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 15 मार्च, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार चक 12 एच.एच., चक 11 एच.एच., चक 5 एस.के.एम.–ए एवं चक 3 बी बी स्थित कृषि भूमि उनके नाम के आगे लिखे खातेदारो के नाम पर दर्ज है तथा गांव झबेलवाली की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से दर्ज है किन्तु यह भूमि इस वाद की विषयवस्तु नही हो सकती और न ही इस भूमि की बाबत किसी भी प्रकार का कोई आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मा. न्यायालय द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी के मध्य पारित ही किया जा सकता है. दिनांक 25 मार्च, 2008 को प्रश्नगत कृषि भूमि की बाबत तथाकथित निष्पादित इकरारनामा प्रथमताः अकृत एवं शून्य अभिलेख है क्योंकि कृषि भूमि की बाबत विभाजन के लिये भू–धारक की स्वीकृति एक आवश्यक अर्हता है द्वितीय, कथित बंटवारानामा में स्व. श्रीमती बसन्तकौर एवं श्री तारासिंह के स्वामित्व की खातेदारी भूमि की बाबत कोई व्यवस्था नहीं की गयी. बल्कि इस बंटवारानामा के अनुसार बंटवारानामा के साथ साथ श्री तारासिंह एवं श्रीमती बसन्तकौर के इच्छापत्र को भी उद्घोषित किया हुआ है जो विधि के विरूद्व है. तथा इच्छापत्र के संदर्भ में किसी प्रकार की विवेचना अथवा न्याय निर्णय की अधिकारिता राजस्व न्यायालय को निहित नहीं करती. गांव झबेलवाला(पंजाब) स्थित कृषि भूमि स्व. श्री तारासिंह एवं श्रीमती बसन्तकौर के स्वामित्व की स्वःर्जित भूमि थी, जिसका निस्तारा उनके द्वारा अपने जीवनकाल में ही कर दिया गया था तथा यह भूमि इस वादपत्र की विषयवस्तु नहीं हो सकती और न ही विभाजन के बाद वाद में इसे राजस्थान स्थित कृषि भूमि के साथ समायोजित कर कोई न्याय निर्णयन किया जा सकता है. यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है जिसका तहसील श्रीगगानगर, पदमपुर एवं घड़साना स्थित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है. प्रतिविादी संख्या 1 से 3 स्व. श्री तारासिंह एवं श्रीमती बसन्तकौर के विधिक उत्तराधिकारी हैं इसलिये चक 11 एच एच., 12 एच एच में उनके नाम पर स्थित भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त करने के विधिक उत्तराधिकारी हैं. कथित समझौता के आधार पर किसी प्रकार का कोई घोषणातमक अनुतोष पारित नहीं किया जा सकता. स्व. श्री तारासिंह एवं श्रीमती बसन्तकौर एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं स्व. श्री मलसिंह के नाम दर्ज एवं विद्यमान कृषि भूमि का विभाजन कर प्रत्येक का हिस्सा निर्धारित किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को कोई आपत्ति नहीं है. इस प्रकार वादपत्र सव्यय निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(एसडीएम) श्रीगंगानगर

वादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 5 से 7 की ओर से प्रस्तुत जवाब काउण्टरक्लेम दिनांक 15 मार्च, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 5 से 7 काउण्टरक्लेम में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज नहीं है एव न ही उनकी कोई फसल काश्त की हुई खड़ी है क्योंकि चक 12 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की कुल 12.081 हैक्टर संयुक्त खाता में दर्ज है जिस पर सभी काश्तकारान का संयुक्त रूप से अधिकार है. प्रतिवादी संख्या 5 से 7 द्वारा वर्णित कृषि भूमि में कोई सुधार कार्य नही किया गया एवं न ही वे इस कृषि भूमि को विभाजन में प्राप्त करने के ही अधिकारी हैं. इस प्रकार काउण्टरक्लेम निरस्त करने का निवेदन किया गया.

वादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 9 की ओर से प्रस्तुत जवाब काउण्टरक्लेम दिनांक 15 मार्च, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 9 काउण्टरक्लेम में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज नहीं है एव न ही उनकी कोई फसल काश्त की हुई खड़ी है क्योंकि चक 12 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की कुल 12.081 हैक्टर संयुक्त खाता में दर्ज है जिस पर सभी काश्तकारान का संयुक्त रूप से अधिकार है. प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा वर्णित कृषि भूमि में कोई सुधार कार्य नही किया गया एवं न ही वे इस कृषि भूमि को विभाजन में प्राप्त करने के ही अधिकारी हैं. इस प्रकार काउण्टरक्लेम निरस्त करने का निवेदन किया गया.

वादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 की ओर से प्रस्तुत जवाब काउण्टरक्लेम दिनांक 15 मार्च, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 काउण्टरक्लेम में वर्णित कृषि भूमि पर काबिज नहीं है एव न ही उनकी कोई फसल काश्त की हुई खड़ी है क्योंकि चक 12 एच.एच. के खाता संख्या 21/20 मुरब्बा नम्बर 25, 26 एवं 36 की कुल 12.081 हैक्टर संयुक्त खाता में दर्ज है जिस पर सभी काश्तकारान का संयुक्त रूप से अधिकार है. प्रतिवादी संख्या 14 एवं 15 द्वारा वर्णित कृषि भूमि में कोई सुधार कार्य नही किया गया एवं न ही वे इस कृषि भूमि को विभाजन में प्राप्त करने के ही अधिकारी हैं. इस प्रकार काउण्टरक्लेम निरस्त करने का निवेदन किया गया.

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4, प्रतिवादी संख्या 5, 6 मुख्तयार आम के माध्यम से, प्रतिवादी संख्या 7, 9, 14 एवं 15 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 17 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री गुरजीतसिंह, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता द्वारा अजीतपालसिंह, प्रतिवादी संख्या 4 से 7, 9, 14 एवं 15 की पहचान अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा द्वारा की गयी. इसके अतिरिक्त, वादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 6061 3781 3330, वादी संख्या 2 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या आर.जे./01/007/485107, वादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 6832 3707 8491 जिसके अनुसा प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया कि उसे मायके में हरप्रीतकौर एवं ससुराल में अवनीतकौर के नाम से पुकारा जाता है इसलिये ससुराल में जारी

अवनीतकौर के नाम का आधार कार्ड प्रस्तुत किया गया, वादी संख्या 4 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 3467 3610 3745, वादी संख्या 5 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 7895 1556 5379, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी वाहन चालक अनुज्ञापत्र संख्या पी.बी. –3020100056994, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 3322 2564 2534, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 2495 0589 6544, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 6955 9886 0911, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 3204 6069 2372, प्रतिवादी संख्या 6 के नाम पर जारी चुनाव पहचानपत्र संख्या आर.जे./01/007/अपठनीय, प्रतिवादी संख्या 7 के नाम पर जारी वाहन चालक अनुज्ञापत्र संख्या आर. जे–13 19840001764, श्री जसजीत द्वारा श्री अमरजीतसिंह के पक्ष में निष्पादित सामान्य प्राधिकार पत्र की प्रति, प्रतिवादी संख्या 8 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 3762 6184 1141, प्रतिवादी संख्या 9 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 2511 6134 5150, प्रतिवादी संख्या 10 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 2173 1371 7592 की स्वः प्रमाणित चित्रित प्रतियां प्रस्तुत की गयी जिस पर राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 12 राज्यपक्ष की ओर से तहसीलदार(भू.अ.), घड़साना द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 22 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार चक 5 एस.के.एम–ए के पत्थर नम्बर 147/20 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 1 से 25 की कुल 6.325 हैक्टर कृषि भूमि श्री मलसिंह एव श्री बलदेवसिंह आत्मज श्री तारासिंह के नाम पर दर्ज थी, तथा मलसिंह की मृत्योपरान्त उसकी ½ हिस्सा उसके वारिसान श्रीमती छिन्द्रपाल कौर धर्मपत्नी, श्रीमती हरप्रीतकौर पुत्री, सुखप्रीतसिंह पुत्र के नाम पर नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 20 अक्तूबर, 2014 द्वारा दर्ज किया जा चुका है. यथा आदेश पारित करने का निवेदन किया गया.

प्रतिवादी संख्या 13 राज्यपक्ष की ओर से उप तहसीलदार, बींझबायला द्वारा जवाब वादपत्र दिनांक 22 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादपत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य है जिसमें राज्यपक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिये राज्यहित को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया गया.

सहायक कलक्टर एवं उपखण्डपालक दण्डनायक ( फास्ट ट्रेक ) श्रीगंगानगर

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

चूंकि पक्षकारान के मध्य प्रश्नगत कृषि भूमि चक 12 एच एच. तहसील जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 24 एवं 26 की 2.0240 हैक्टर, चक 11 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 3 व 15 की 7.754 हैक्टर, चक 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 25,26 एवं 36 में श्री दर्शनसिंह आत्मज श्री तारासिंह 100 हिस्सा, श्री तारासिंह आत्मज श्री सुच्चासिंह 39 हिस्सा एवं श्रीमती

बसन्तकौर धर्मपत्नी श्री तारासिंह के नाम पर 35 हिस्सा, चक 5 एस.के. एम. ए. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 2 की 6.325 हैक्टर, चक 3 बी बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 5 की 3.162 हैक्टर, श्री सुखदेवसिंह उर्फ गुरासिंह, श्री गुरासिंह, श्री नक्षत्रसिंह आत्मजन श्री तारासिंह एवं 3.163 हैक्टर श्री छिन्द्रपालसिंह, श्री नक्षत्रसिंह आत्मजन श्री तारासिंह की बाबत परस्पर राजीनामा दिनांक 17 मई, 2018 को निष्पादित एवं प्रमाणित किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में, विचाराधीन वादपत्र में धारा 88, 188, 92ए में किसी भी प्रकार का अनुतोष देय नहीं है किन्तु राजीनामा के आधार पर परस्पर विभाजन हेतु सम्बन्धित तहसीलदार को ही अधिकार उपलब्ध हैं. जिनके माध्यम से राजीनामा के आधार पर विभाजन करवाया जा सकता है. इस प्रकार वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने के कारण वादपत्र निरस्त किये जाने योग्य है.

।। आदेश ।।

अतः वादपत्र निरस्त किया जाता है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 07 सितम्बर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर